

17



वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/ 455

**जोधपुर विद्युत
वितरण निगम
लिमिटेड**

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(सी.एंड पी.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा / प्रे. 1134 दि. 8/10/08

आदेश

विषय: कृषि उपभोक्ताओं के बकाया बिलों के निस्तारण हेतु "कृषक राहत एवं भुगतान सहायता योजना" (Amnesty Scheme - 2008-2009)।

कृषि श्रेणी के अनेक उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों की काफी राशि बकाया है तथा उस पर प्रतिमाह विलम्ब सरचार्ज (डीपीएस) भी बढ़ता जा रहा है। इस बारे में विचार कर ऐसी राशि की शीघ्र वसूली करने हेतु उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिये निम्नलिखित "कृषक राहत एवं भुगतान सहायता योजना - 2008-09 (Amnesty Scheme - 2008 - 2009)" लागू की जाती है:-

1. चालू (Running) कृषि श्रेणी (मीटर एवं प्लैट दर कनेक्शन हेतु):

31.03.2008 को कुल बकाया राशि में से मूल बकाया राशि का एक मुश्त 31.12.2008 तक जमा कराने पर, कुल बकाया राशि में से "विलम्ब से भुगतान अधिभार (DPS)" की राशि माफ कर दी जावेगी। साथ ही 01.04.2008 से भुगतान करने की तिथि तक इकट्ठी हुई मूल राशि एवं 31.03.2008 को बकाया मूल राशि तथा दोनों राशियों पर विलम्ब से भुगतान अधिभार (DPS) भी उपभोक्ता को जमा कराना होगा।

2. 31.03.08 को अथवा इससे पूर्व में कटे हुए (Disconnected) कृषि श्रेणी (मीटर एवं प्लैट दर) कनेक्शन हेतु:

31.03.08 को कुल बकाया राशि में सम्मिलित "विलम्ब भुगतान अधिभार (DPS)" की राशि माफ कर दी जावेगी एवं मूल राशि मय 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज (01.04. 2008 से भुगतान की तिथि तक) उपभोक्ता द्वारा एक मुश्त जमा कराना होगा।

3. उपरोक्त योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक शर्त:-

- (i) यह योजना 31.12.2008 तक लागू रहेगी।
- (ii) योजना सभी कटे एवं चालू कृषि कनेक्शनों (मीटर एवं प्लैट रेट) के सामान्य एवं उन उपभोक्ताओं पर जिन्हें 24 घंटे विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है, अर्थात् जिन्हें रोस्टर प्रणाली से विद्युत की आपूर्ति की जा रही है, पर लागू होगी।

पेज 03 का 01

5/10/08

- (iii) उपरोक्त रियायती योजना के अन्तर्गत बकाया जमा कराने के लिये उपभोक्ता द्वारा संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप अनुसार भरकर सम्बंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- (iv) विद्युत चोरी, अनियमितता एवं दुरुपयोग आदि के प्रकरणों में यह योजना लागू नहीं होगी।
- (v) न्यायालयों में लम्बित मामलों की स्थिति में सम्बंधित उपभोक्ता को स्वेच्छा से अपना केस न्यायालय से वापस लेने की अन्डरटेकिंग देनी होगी।
- (vi) इस योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा जिन्होंने निगम के आदेश क्रमांक वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/270 दिनांक 12.05.05, वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/310 दिनांक 09.03.06, वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/358 दिनांक 02.12.06, वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/378 दिनांक 08.03.07, वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/391 दिनांक 04.05.07 एवं वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/426 दिनांक 21.02.08 के अन्तर्गत इस तरह की योजना का लाभ लिया था।
- (vii) सम्बंधित सहायक अभियन्ता, विलम्ब भुगतान अधिभार/ब्याज की रकम का लाभ देने में सक्षम होंगे।
- (viii) यदि उपभोक्ता उपरोक्त योजना के अनुसार निर्धारित राशि को समय पर जमा कराने में असफल रहता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ix) कटे हुए कनेक्शनों को पुर्नस्थापित कराना आवश्यक नहीं है। हॉलांकि कटे हुए कनेक्शनों को कृषि कनेक्शन नीति के अनुसार ही पुर्नस्थापित किया जायेगा।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से

मोहन
(एम.एस. फगेरिया)
मुख्य अभियन्ता (सी. एण्ड पी.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर